न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 05 / 2021

दायरा दिनांक :— 01.07.2021

अपीलार्थीः—	बनाम	रेस्पोडेन्टः—
1. नाथाराम पुत्र बदाराम उम्र 58 वर्ष, जाति रेबारी निवासी लालपुरा उप तहसील नाना जिला पाली (राज.)		1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी उप तहसीलदार, नाना जिला पाली (राज)

उपस्थितिः—

1. श्री लक्ष्मण के चौधरी विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उप तहसीलदार नाना के आदेश दिनांक 12.05.2021 राजस्व प्रकरण संख्या 01 / 2021 में पारित किया है उस आदेशज्ञ को निरस्त करवाने बाबत्।

—:निर्णयः— दिनांक 17/2/2022

1. अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो आदेश पूर्ण रूप से कानूनन एंव मौके की स्थिति के विपरित पारित किया गया है जो आदेश प्रथम दृष्टया निरस्त करने योग्य है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को प्रोपर नोटिस जारी नही किया गया और न ही सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार तामिल ही करवाया गया और न ही साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया इस कारण उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।
2. यह है कि अपीलार्थी का जो ग्राम चामुण्डेरी खसरा नम्बर 1621 की भूमि पर कब्जा बताया गया है वो कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है एंव मौके पर अपीलार्थी का पूर्व में कच्चा मकान था एंव 4—5 वर्ष पूर्व भेड़—बकरियों हेतु बाड़ा व रहने हेतु मकान बनाया गया था क्योकि अपीलार्थी के अन्य रहने हेतु कोई मकान या बाडा नही था। जो बाड़ा व मकान निमन योग्य था लेकिन इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई।
3. यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो अतिक्रमण के सम्बन्ध में पटवारी रिपोर्ट जो बताई गई है उसमें किसी प्रकार का नक्शा एंव उस नक्शें में विशिष्ट रूप से कोई डिमारगेशन व नाप चौक व अडौस—पड़ौस दर्ज किया हुआ नही है और न नही ऐसा कोई नक्शा पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो अपीलार्थी की पिताजी की कब्जासुदा है एंव इसी कब्जे के आधार पर बाड़ा बनाया गया है जो भेड़—बकरियों को रखने एंव स्वयं के रहवास हेतु काम में लिया जा रहा है जो पूर्ण रूप से विधि अनुरूप है। केवल मात्र सरपंच जो अपीलार्थी के चुनावी खिलाफत व रंजिश

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

चलते उक्त कार्यवाही पटवारी हल्का से मिलकर करवाई गई है। इस कारण भी उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

4. यह है कि कानून के अनुसार अपीलार्थी अतिकर्मी को नोटिस नियमानुसार जारी किया जाना चाहिये एंव अलग–अलग प्रोपर तामिल करानी चाहिये थी लेकिन उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया गया एंव अपीलार्थी जो घर पर मौजुद नही था भेड–बकरियां चराने हेतु गया हुआ था। उनके घर पर कोई मौजुद नही था लेकिन उसके बावजुद भी सरपंच से मिलावट करके लेने से इंकार की रिपोर्ट दिखाई गई है। जो किसी भी रूप से न्यायोचित नही है।
5. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.05.2021 गैर सायल के अनुपस्थित रहने एंव अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं करने का लिखा गया है जबकि अपीलार्थी को कोई नोटिस प्रोपर तामिल ही नहीं हुआ यदि नियमानुसार नोटिस तामिल करवाया जाता तो अपीलार्थी उपस्थित होकर अपने प्रकरण की पैरवी करता लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी करते हुए एक पक्षीय अपीलार्थी की गैर मौजुदगी में बेदखली सम्बन्धी आदेश पारित किया है एंव सरपंच से मिलकर के उक्त आदेश की पालना में मौके पर अपीलार्थी के जो बाडा व पक्का मकान वर्षो से बने हुये थे जो कब्जासुदा थे उनको बिना जांच किये मौके पर तोड–फोड़ कर हटा दिया गया एंव अपीलार्थी को घर से बेघर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी भी रूप से न्यायोचित नहीं है एंव उक्त आदेश निरस्त करने योग्य है।
6. यह है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2021 जो गैर सायल (अपीलार्थी) को बिना नोटिस तामिल हुये गैर मौजुदगी में एक पक्षीय पारित किया गया जिस आदेश की अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी अपीलार्थीगण ग्रामीण क्षैत्र के भेड़–बकरी चराने के पशुपालक जो अनपढ है दिनांक 11.06.2021 को मौके पर अपीलार्थीगण जब भेड–बकरिया चराने हेतु गये हुये थे तब पीछे से घर की औरते जो घर पर थी उनको बाहर निकाल कर तोड–फोड़ कर बाड़े नष्ट कर दिये। प्रार्थीगण ने घर पर आकर इस सम्बन्ध में परिवाल वालों से जानकारी की एंव अपीलाधीन आदेश की जानकारी व नकल हेतु तहसील कार्यालय जाकर दिनांक 22.06.2021 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो नकले दिनांक 24.06.2021 को अपीलार्थीगण को दी गई एंव शनिवार व रविवार को राजकीय अवकाश होने से अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की नकल प्राप्त होने व जानकारी से अन्दर म्याद अपीलार्थीगण की अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसे अन्दर म्याद माना जाना न्यायहित में आवश्यक है।
7. यह है कि अन्य उजरात बरवक्त बहस पेश किये जायेगें।

अतः अपीलार्थी की ओर से अपील पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील मय व्यय स्वीकार फरमावें एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2021 जो राजस्व प्रकरण संख्या 01/2021 में पारित किया गया है उस आदेश को निरस्त फरमावें।

8. अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।
9. अपील Subject to limitaion दर्ज रजिस्टर की जा कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेसपोडेण्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता उपस्थित।
10. बहस उभयपक्ष सूनी गई।
11. वकिल अपीलाण्ट द्वारा बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नम्बर 1621 किस्म बा.अ. की

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

भूमि पर कब्जा बताया गया है वो कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है एंव मौके पर अपीलार्थी का पूर्व में कच्चा मकान था एंव 4–5 वर्ष पूर्व भेड़–बकरियों हेतु बाड़ा व रहने हेतु मकान बनाया गया था क्योकि अपीलार्थी के अन्य रहने हेतु कोई मकान या बाड़ा नही था। जो बाड़ा व मकान नियमन योग्य था लेकिन इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई। अपीलार्थी के विरूद्ध जो अतिक्रमण के सम्बन्ध में पटवारी रिपोर्ट बताई गई है उसमें किसी प्रकार का नक्शा एंव उस नक्शें में विशिष्ट रूप से कोई डिमारगेशन व नाप चौक व अडौस–पड़ौस दर्ज किया हुआ नही है और न ही ऐसा कोई नक्शा पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो अपीलार्थी की पिताजी की कब्जासुदा है एंव इसी कब्जे के आधार पर बाड़ा बनाया गया है जो भेड–बकरियों को रखने एंव स्वयं के रहवास हेतु काम में लिया जा रहा है जो पूर्ण रूप से विधि अनुरूप है।अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.05.2021 गैर सायल के अनुपस्थित रहने एंव अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं करने का लिखा गया है जबकि अपीलार्थी को कोई नोटिस प्रोपर तामिल ही नहीं हुआ यदि नियमानुसार नोटिस तामिल करवाया जाता तो अपीलार्थी उपस्थित होकर अपने प्रकरण की पैरवी करता लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी करते हुए एक पक्षीय अपीलार्थी की गैर मौजुदगी में बेदखली सम्बन्धी आदेश पारित किया है एंव सरपंच से मिलकर के उक्त आदेश की पालना में मौके पर अपीलार्थी के जो बाड़ा व पक्का मकान वर्षो से बने हुये थे जो कब्जासुदा थे उनको बिना जांच किये मौके पर तोड–फोड़ कर हटा दिया गया एंव अपीलार्थी को घर से बेघर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी भी रूप से न्यायोचित नहीं है एंव उक्त आदेश निरस्त करने योग्य है।

12. अन्त में वकिल अपीलाण्ट ने निवेदन कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार फरमावें एंव अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2021 जो राजस्व प्रकरण संख्या 01/2021 में पारित किया गया है, उस आदेश को निरस्त फरमावें।

13. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलाण्ट श्री नाथाराम पुत्र बदाराम जाति रेबारी निवासी लालपुरा, उप तहसील नाना, तहसील बाली, जिला पाली ने ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नम्बर 1621 कुल रकबा 4.75 हैक्टेयर किस्म बा.अ. भूमि में से रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा था। इस पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय उप तहसीलदार नाना द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् प्रकरण संख्या 01/2021 दर्ज किया गया। तत्पश्चात न्यायालय उप तहसीलदार नाना द्वारा अपीलाण्ट को सूनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 12.05.2021 को अपीलाण्ट को बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.05.2021 विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाई जावें।

14. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट है कि तहसीलदार भूमिधारी होने के नाते तहसीलदार को पूर्ण अधिकार हैं कि वे सिवायचक भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दे तथा किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना पाया जाता हैं तो संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् विधिसम्मत बेदखली की कार्यवाही की जावे।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

15. चुंकि उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया हैं कि मौजा ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नम्बर 1621 किस्म बा.अ. कुल रकबा 4.75 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट के पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है एंव मौके पर अपीलार्थी का पूर्व में कच्चा मकान था एंव 4–5 वर्ष पूर्व भेड़–बकरियों हेतु बाड़ा व रहने हेतु मकान बनाया गया था क्योकि अपीलार्थी के पास उक्त आराजी के अलावा रहने हेतु अन्य कोई मकान या बाड़ा नही था। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी पर अपने रहवास हेतु बनाया गया मकान व भेड़–बकरियों हेतु बनाया गया बाड़ा जो नियमन योग्य प्रतित होता हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई। ऐसी स्थिती में यदी अपीलाण्ट को उक्त आराजी (खसरा नम्बर 1621 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि) से बेदखल किया जाता हैं तो न सिर्फ अपीलाण्ट का परिवार घर से बेघर होगा बल्कि अपीलाण्ट द्वारा पालन किये जा रहे भेड़–बकरियों को भी रखने में कई कठिनाईयों का सामना करना पडेगा।

16. राज्य सरकार की भी यही मंशा हैं कि यदि किसी भूमिहीन व्यक्ति का लम्बे समय से सरकारी भूमि पर कब्जा काश्त होता हैं तो नियमानुसार प्रिमियम राशि प्राप्त कर उक्त भूमि का विधिवत आवंटन/नियमन संबंधित भूमिहीन व्यक्ति को किया जा सकता हैं। राज्य सरकार द्वारा जनहित में जनकल्याण की भावना से अभियान भी चलाये जा रहे हैं जिसमें इस प्रकार के अनुतोष के प्रावधान विद्यमान हैं।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता हैं तथा अपील स्वीकार की जाति हैं। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार नाना द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2021 विधिसम्मत नहीं होने के कारण यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होने से अपास्त किया जाता हैं। उप तहसीलदार, नाना को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलाण्ट को मौके से बेदखल नहीं किया जाये तथा अपीलाण्ट से किसी प्रकार की जुर्माना राशि वसूल नहीं की जाये। साथ ही उप तहसीलदार नाना को निर्देशित किया जाता हैं कि राज्य सरकार की मंशानुसार एवं नियमन हेतु निर्धारित परिपत्रों अनुसार उक्त आराजी (खसरा नम्बर 1621 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि) का अपीलाण्ट को आवंटन हेतु नियमानुसार नियमन/आवंटन प्रस्ताव तैयार कर अपनी टिप्पणी के साथ संबंधित आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) को भिजवाना सुनिश्चित करे। इस निर्णय की प्रति उप तहसीलदार, नाना को तहरीर के साथ माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 17/2/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)